

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक डी चतुर्थ तल, नवा रायपुर "अटल नगर, जिला-रायपुर

Comp. No.:519552 PROJ-4109/1095/2026-UADD SECTION /664453 नवा रायपुर, दिनांक 29/9/26

// प्राविधिक आदेश //

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् पेण्ड्रा जिला गोरिला/पेण्ड्रा/नरवाही को वित्तीय वर्ष 2026-27 में अधोसंरचना मद अंतर्गत निम्नानुसार विकास कार्य हेतु राशि रु. 20.00 लाख (बीस लाख मात्र) की प्राविधिक स्वीकृति अधोसंरचना मद अंतर्गत उल्लेखित शर्तों के अधीन एतद द्वारा प्रदान की जाती है:-

(राशि रु. लाख में)

क्र.	कार्य का विवरण	राशि लाख में
1	हाई स्कूल में एसेम्बली हाल का नवीनीकरण रीनोवेशन कार्य	20.00
	योग	20.00

शर्त:- (01 - 10)

- उ.ग. नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 व उ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 अंतर्गत (गैर इन्फ्रस्ट्रक्चर/प्रेसीडेन्टइन्फ्रस्ट्रक्चर के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य) नियम 1998 में उल्लेखित व समय-समय पर शासन/संचालनालय द्वारा जारी आदेश का पालन करते हुए समस्त अनुषांगिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जावे। अन्यथा आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी व्यक्तिगत जवाबदार होंगे।
- उ.ग. वर्क्स डिपार्टमेंट मेन्यूअल में दिये गये समस्त निर्देशों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्वक कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जावे। बिना सक्षम अनुमति के कोई भी सारवान परिवर्तन/विभक्तिकरण नहीं किया जावे।
- उ.ग.शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र क्र. 5-56/2014/18 दिनांक 25.11.2019 में उल्लेखित समस्त नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए उपरोक्त नवीन कार्य हेतु स्वच्छ निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जावे। अन्यथा आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- उपरोक्त कार्यों में सम्मिलित समस्त नॉन एस ओ आर आइटम्स कि निविदा/सामग्री कय के पूर्व सक्षम तकनीकी अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति/तकनीकी स्पेसिफिकेशन व दर का विश्लेषण मय अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध जारी किस्त राशि का व्यय उपरांत पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों का प्रमाणित फोटोग्राफ (हार्डकोपी) के साथ निर्धारित प्रारूप में आगामी किस्त हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जावे। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व व कार्य पूर्णता पश्चात दोनों स्थितियों की चारों दिशाओं से जियोटैंग्ड फोटोग्राफ लेकर नरती में संलग्न करें।
- स्वीकृत कार्य हेतु आवंटित राशि से स्वीकृत कार्य ही किया जावे तथा स्वीकृत राशि में उपरोक्त समस्त कार्य पूर्ण करना होगा। पृथक से राशि जारी नहीं की जावेगी।
- स्वीकृत राशि का उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यों के अलावा अन्य किसी भी कार्यों में उपयोग किया जाना वर्जित रहेगा। उल्लंघन की दशा में आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- उपरोक्त वर्णित कार्य यदि पूर्व में किसी भी अन्य योजना/मद व पूर्व वित्तीय वर्ष में निर्मित/स्वीकृत या स्वीकृत हेतु प्रचलित पाए जाते हैं तो इस कार्य की स्वीकृति तत्काल शून्य मानी जावे तथा कार्य की पुनरावृत्ति होने पर इस हेतु निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/तकनीकी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- स्वीकृत कार्य निकाय के आधिपत्य भूमि पर ही निर्माण किया जावे। निजी भूमि/स्वामित्व संबंधी विवादित भूमि पर निर्माण कार्य न करवाया जावे। निविदा/कार्यविशेष के पूर्व स्वयं आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि भूमि में किसी प्रकार का विवाद नहीं है।

10. उल्लेखित कार्य हेतु प्रादेशिक स्वीकृति अनुमानित लागत है। उक्त कार्य का शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार विधिवत पूर्ण प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित करे। अंतिम स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरान्त ही निविदा की कार्यवाही की जाये।
(मान.उप मुख्यमंत्री एवं भारसाधक मंत्री जी द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
HIMANSHU DESHMUKH
Date: 29-09-2026
16:33:44

कार्यपालन अभियंता (अनुदान)
संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़ नया रायपुर
नवा रायपुर, दिनांक 29/9/26

Comp. No.: 519552 PROJ-4109/1095/2026-UADD SECTION

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 निज सचिव, मान. मंत्रीजी, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय अटल नगर जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2 सचिव, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय अटल नगर जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3 कलेक्टर, जिला - गौरेला/पेण्ड्रा/मरवाही (छ.ग.)।
- 4 मान. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् पेण्ड्रा जिला- गौरेला/पेण्ड्रा/मरवाही ।
- 5 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् पेण्ड्रा।
- 6 संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास बिलासपुर।
- 7 डाटा सेंटर विभागीय साईट में प्रविष्टि तथा माननीय विभागीय मंत्री जी के ई-मेल आई डी पर प्रेषित किये जाने हेतु।

कार्यपालन अभियंता (अनुदान)
संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़ नया रायपुर

श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत

संसद सदस्य (लोक सभा)

कोरबा, छत्तीसगढ़



सत्यमेव जयते

सदस्य :-

- कोयला, खान एवं इस्पात संबंधी स्थायी समिति.
- महिला एवं बाल विकास सलाहकार समिति.
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रायपुर (छ.ग.)
- स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य - सलाहकार समिति, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार.
- कर्मिक : 530-2/ सांसद/कोरबा.

दिनांक : 30/08/2026

प्रति,

माननीय श्री अरुण साव जी,

उप मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन

नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग

रायपुर (छ.ग.)

संचालक, न.प्र.वि.

स्वीकृति हेतु

(अरुण साव) 126

उप मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ शासन

लोक नि.वि., लोक स्वा. बां., न.प्र.वि. एवं विकास,

विषय :- अधोसंरचना विकास मद से विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु

-0-

मेरे लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पेण्ड्रा, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में जनसम्पर्क के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा निम्न निर्माण कार्यों की मांग की है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	नगर पालिका परिषद	वि.ख.	कार्य का नाम	अनु. लागत राशि लाख में
1	नगर पालिका परिषद, पेण्ड्रा	पेण्ड्रा	हाई स्कूल में एसेम्बली हॉल का नवीनीकरण (रेनोवेशन) कार्य	20.00

कृपया उक्त निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र अधोसंरचना विकास मद से स्वीकृत करने का कष्ट करेंगे।

(श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत)

अनुसंधान/अनुसंधान क्रमांक 2122
उप मुख्यमंत्री/ले.वि./लो.स्वा.बां./
न.प्र.वि. एवं वि. योजनाएं एवं विकास विभाग
अनुसंधान दिनांक 16/09/2026

5073

शस्य स्था/नया स्था/शिक्षणयत (विशेष/न्या.प्र./अनुसंधान)
अनुसंधान/पेंशन/वन्दन एवं आडिट/सू.अ/विश्व/वां.प्र.
Section Incharge Office
18 SEP 2026
Most Urgent /T.L/ Most Imp/Imp
Director, U.A.D.

602, नर्मदा अपार्टमेंट, डॉ. बी.डी.मार्ग, नई दिल्ली - 110001 (भारत)

D-2, पम्प हाऊस रोड, पंचवटी विश्राम गृह के पारा, कोरबा, छत्तीसगढ़ (भारत)

दूरभाष : 09013997085 ई-मेल : jyotsna.mahant@sansad.nic.in, jmkorba04@gmail.com